



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1947 (श10)
(सं० पटना 1337) पटना, मंगलवार, 12 अगस्त 2025

विधि विभाग

अधिसूचना
12 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-06/2025/5080 लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 अगस्त, 2025 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम-06, 2025]

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2025

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम-01, 1951) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।—

(1) यह अधिनियम बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

(2) यह दिनांक-23 मई, 2025 से प्रवृत्त समझा जाएगा।

2. धारा 32 में संशोधन।—बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 में उपधारा 32(5) को निम्नलिखित रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा:—

“(5) (i) बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 सहित किसी प्रावधान के होते हुए भी, राज्य सरकार पुनौराधाम मंदिर, सीतामढ़ी के विकास के लिए एक योजना बना सकेगी, जिसमें भूमि और सभी परिसंपत्तियों का प्रशासन शामिल है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण शामिल होगा, ताकि इसे राष्ट्रीय महत्व का धार्मिक और पर्यटन आकर्षण का स्थान बनाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

(ii) राज्य सरकार विकास योजना के प्रशासन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति गठित कर सकेगी।

(iii) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से पुनौराधाम मंदिर की वर्तमान न्यास समिति भंग मानी जाएगी। सभी पदाधिकारी कार्य करना बंद कर देंगे।

परंतु न्यास के विद्यमान महंथ को राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति में शामिल किया जाएगा।

परंतु और भी, न्यास के सभी कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित समिति के पूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए न्यास की सेवा करते रहेंगे।

(iv) राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति, न्यास और उसकी सभी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन का पूर्ण नियंत्रण तुरंत अपने हाथ में ले लेगी।

(v) राज्य सरकार द्वारा गठित समिति राज्य सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(vi) राज्य सरकार योजना के उचित कार्यान्वयन के हित में समिति को निर्देश जारी कर सकती है और ऐसे निर्देश बाध्यकारी होंगे।

(vii) राज्य सरकार न्यास के समुचित विकास के हित में वर्तमान योजना को संशोधित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कर सकेगी। राज्य सरकार किसी भी समय समिति का पुनर्गठन कर सकेगी, जिसमें नए सदस्यों को शामिल करना या वर्तमान सदस्यों को बाहर करना शामिल है।

(viii) अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत पर्वद की सामान्य शक्तियां और कर्तव्य न्यास पर लागू रहेंगे।

(ix) उप-धारा (3) और (4) में निहित प्रावधान इस विधेयक के प्रावधानों के तहत तैयार की गई योजना पर लागू नहीं होंगे।”

2. निरसन एवं व्यावृत्ति।—

(i) बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (बिहार अध्यादेश संख्या-01, 2025) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

12 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-06/2025/5081 लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2025 को अनुमत बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम संख्या-06, 2025 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[BIHAR ACT 06, 2025]
BIHAR HINDU RELIGIOUS TRUST (AMENDMENT) ACT, 2025
AN
ACT

TO FURTHER AMEND THE BIHAR HINDU RELIGIOUS TRUST ACT, 1950 (Act No-01, 1951)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in Seventy Sixth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.-

- (1) This Act may be called the Bihar Hindu Religious Trust (Amendment) Act, 2025.
- (2) It shall deemed to have come into force from 23rd may, 2025.

2. Amendment in Section 32.- In Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 the Sub Section 32 (5) shall be inserted as following:-

- "(5) (i) Notwithstanding any provision in Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 including Section 32, State Government may constitute a scheme for development of Punauradham Mandir, Sitamarhi including administration of land and all assets. The scheme will inter-alia, include holistic approach for development with a view to achieve the aim of making it a place of national importance of religious and tourism attraction.
- (ii) The State Government may constitute committee of eminent persons for administering the scheme of Development.
- (iii) On and from the date of enactment of this Act, existing committee of trust shall stand dissolved. All office bearers shall cease to function. Provided that existing Mahanth of the trust will be included in the Committee to be constituted by the State Government. Provided further that all employees of the Trust shall continue to serve the trust subject to complete control of the Committee including disciplinary action.
- (iv) The Committee to be constituted by the State government shall immediately take complete control of management of Trust and all its assets, tangible and intangible.
- (v) The committee constituted by the State government shall submit periodical report to the State Government.
- (vi) That State government may issue direction to the Committee in the interest of proper implementation of scheme and such direction shall be binding.
- (vii) The State government may modify, alter, amend or substitute existing scheme in the interest of proper development of trust. The state

government may reconstitute the Committee any time including inclusion of new members or exclusion of existing members.

(viii) General Powers and Duties of the Board under Section 28 of the Act shall continue to be applicable to the Trust.

(ix) Provisions contained in the sub-Section (3) and (4) shall have no application on the scheme framed under the provisions of this Act."

3. Repeal and Savings-

(i) The Bihar Hindu Religious Trust (Amendment) Ordinance, 2025 (Bihar Ordinance No-01, 2025) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 1337-571+400-डी0टी0पी0

Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>